न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/02/2013

डालचन्द पुत्र दीपचन्द जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम होता ग्राम पंचायत जहांगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत जहांगीरपुर पंचायत तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. रामेश्वर] पुत्रगण टीकम जाति ब्राहाम्ण निवासी होता ग्राम पंचायत जहांगीरपुर
3. रामदयाल] तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नदबई दिनांक 27.04.2013 अन्तर्गत प्रकरण संख्या /2011 शीर्षक डालचंद बनाम सरपंच आदि।

उपस्थित :–

1–श्री महाराजसिंह डागुर एड0 अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री राजेश पचौरी एड0 अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक 22.12.2021**

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 मय मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पेश की गई है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के आदेश दिनांक 22.06.2011 के विरूद्व प्रस्तुत अपील शीर्षक डालचन्द बनाम सरपंच ग्राम जहांगीरपुर को अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति एवं पंचायत समिति नदबई ने विवादित आदेश दिनांक 27.04.2013 से अस्वीकार करने का आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जहांगीरपुर का यह मानना है कि निगरानीकर्त्ता उसके बरामदा उत्तर दिशा में खुला हुआ है उसके सामने की जगह को छोडकर पूर्व में निर्माणाधीन गेट को हटाकर उस जगह पर लगायेगा एवं बरामदा के सामने की प्रार्थी की ही रहेगी उस पर अन्य किसी का कोई अधिकार नही रहेगा जो कि पारिस्थितियां विरोधाभाषी कथन है जो मान्य नही है। जगह को प्रार्थी की मानते हुए भी ग्राम पंचायत का यह आदेश देना कि "डालचन्द को अपना पूर्व निर्माणाधीन गेट को हटाना होगा एवं उसके पीछे लगाना होगा एवं भविष्य में कोई अवैध निर्माण नही करेगा" गलत है क्योंकि प्रार्थी का पूर्व से ही गेट के पिलर दोनों तरफ बने हुये है और उसके निर्माण से किसी को भी कोई परेशानी नही है। वह प्रार्थी की जगह है और उसे गेट निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। ग्राम पंचायत ने जो रास्ता निर्धारित किया है तथा न्यायालय उपखण्ड

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अधिकारी नदबई ने अपने आदेश दिनांक 20.09.2012 में माना है, उससे अप्रार्थीगण को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। जिसकी पालना में एक बार तो अप्रार्थी ने अतिक्रमण हटा लिया किन्तु पुनः अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, इस सबंध में तहत अदालत ने कोई आदेश नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौके का अवलोकन नही किया है और दिनांक 10.4.2013 को मौका अवलोकन करने का कथन गलत अंकित किया है इसके अतिरिक्त प्रथम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का भी पूर्णतया अवलोकन नही किया है तथा मनमाना एवं खिलाफ कानून आदेश दिया है। तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है और न्यायालय को स्वमित्व का अधिकार तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र भी नही है। उपखण्ड दण्डनायक नदबई के अन्तर्गत धारा 133 द0प्र0संहिता के आदेश पारित आदेश को निगरानी में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 4 भरतपुर ने भी आदेश दिनांक 06.08.2016 के द्वारा बहाल रखा गया है और निगरानी खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कभी भी निगरानीकर्त्ता को कोई जानकारी नही रही है। दिनांक 21.08.2013 को अप्रार्थीगण के द्वारा इस सबंध में गांव में कहने पर हुआ। जानकारी होने पर दिनांक 22.8.2013 को नकल आदेश लेने हेतु आवेदन किया जिसकी नकल प्राप्त होने के दिन से निगरानी अन्दर मियाद न्यायालय में पेश की गई है जो कि धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति पंचायत समिति नदबई दिनांक 27.04.2013 एवं आदेश ग्राम पंचायत जहांगीरपुर तहसील नदबई दिनांक 22.06.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश किया। उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकर्त्ता ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि ग्राम पंचायत जहांगीरपुर के आदेश दिनांक 22.06.2011 के विरूद्व प्रस्तुत अपील शीर्षक डालचन्द बनाम सरपंच ग्राम जहांगीरपुर को अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति एवं पंचायत समिति नदबई ने विवादित आदेश दिनांक 27.04.2013 से अस्वीकार करने का आदेश दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जहांगीरपुर का यह मानना है कि निगरानीकर्त्ता उसके बरामदा उत्तर दिशा में खुला हुआ है उसके सामने की जगह को छोडकर पूर्व में निर्माणाधीन गेट को हटाकर उस जगह पर लगायेगा एवं बरामदा के सामने की प्रार्थी की ही रहेगी उस पर अन्य किसी का कोई अधिकार नही रहेगा जो कि पारिस्थितियां विरोधाभाषी कथन है जो मान्य नही है। जगह को प्रार्थी की मानते हुए भी ग्राम पंचायत का यह आदेश देना कि डालचन्द को अपना पूर्व निर्माणाधीन गेट को हटाना होगा एवं उसके पीछे लगाना होगा एवं भविष्य में कोई अवैध निर्माण नही करेगा गलत है क्योंकि प्रार्थी का पूर्व से ही गेट के पिलर दोनों तरफ बने हुये है और उसके निर्माण से किसी को भी कोई परेशानी नही है। वह प्रार्थी की जगह है और उसे गेट निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। ग्राम पंचायत ने जो रास्ता निर्धारित किया है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपने आदेश दिनांक 20.09.2012 में माना है उससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है जिसकी पालना में एक बार तो अप्रार्थी ने

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अतिक्रमण हटा लिया किन्तु पुनः अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौके का अवलोकन नही किया है और दिनांक 10.4.2013 को मौका अवलोकन करने का कथन गलत अंकित किया है इसके अतिरिक्त प्रथम अधीनस्थ न्याालय के आदेश का भी पूर्णतया अवलोकन नही किया है तथा मनमाना एवं खिलाफ कानून आदेश दिया है। तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है और न्यायालय को स्वमित्व का अधिकार तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र भी नही है। उपखण्ड दण्डनायक नदबई के अन्तर्गत धारा 133 द0प्र0संहिता के आदेश पारित आदेश को निगरानी में न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 4 भरतपुर ने भी आदेश दिनांक 06.08.2016 के द्वारा बहाल रखा गया है और निगरानी खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कभी भी निगरानीकर्त्ता को कोई जानकारी नही रही है। दिनांक 21.08.2013 को अप्रार्थीगण के द्वारा इस सबंध में गांव में कहने पर हुआ। जानकारी होने पर दिनांक 22.8.2013 को नकल आदेश लेने हेतु आवेदन किया जिसकी नकल प्राप्त होने के दिन से निगरानी अन्दर मियाद न्यायालय में पेश की गई है जो कि धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति पंचायत समिति नदबई दिनांक 27.04.2013 एवं आदेश ग्राम पंचायत जहांगीरपुर तहसील नदबई दिनांक 22.06.2011 की पालना को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने प्रस्तुत जबाब के कथनो के आधार पर तर्क किया है कि ग्राम पंचायत आदेश जहांगीरपुर का आदेश दिनांक 22.06.2011 विधिपूर्ण और पुष्टि करने के बाद ही कानूनी रूप से आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत का आदेश पंचायत के कुल कोरम में लिया हुआ आदेश है, जिस पर पंच, सरपंच, सभी ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 20.09.2012 में यह माना है कि अप्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है जिसकी पालना में एक बार तो अतिक्रमण हटा लिया लेकिन पुन अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा आम रास्ते में कोई अतिक्रमण नही किया गया है। दिनांक 22.6.2011 के आदेश की पुष्टि पंचायत समिति नदबई में अपील की गई जिसमें मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट अनुसार ही ग्राम पंचायत के आदेश की पुष्टि की है। प्रार्थी की नियत खराब होने के कारण अप्रार्थी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश निगरानी पारित किया गया है, प्रार्थी का कथन गलत है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2013 से जानकारी थी किन्तु उसका यह कहना कि आदेश की जानकारी दिनांक 21.8.2013 को होना गलत है। निगरानी मियाद बाहर होने के कारण काबिल खारिजी है। अन्त में अभिभाषक अप्राथीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवदेन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.08.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में यह

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

स्पष्ट उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नही थी। दिनांक 21.08.2013 को गांव में जानकारी होने पर पर दिनांक 22.8.2013 को आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन किया गया था तब प्रार्थी को वास्तविक जानकारी हुई थी। जानकारी होने के दिन से निगरानी अन्दर अवधि पेश की गई है व देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद स्वीकार कर देरीना को माफ किये जाने का निवेदन किया है। जिसके सबंध में प्रार्थी द्वारा अपना शपथ–पत्र भी पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस सबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 27.04.2013 को ही थी। निगरानी को काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने का हवाला देते हुये निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना की है, परन्तु न्यायालय का यह मानना है कि प्रकरण में यदि कानूनी विन्दु महत्वपूर्ण हो और उसमें सार प्रतीत होता है तो मियाद के बिन्दु को गौण कर देना चाहिये तथा मियाद के विन्दु पर अदालत को कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिये।

तत्पश्चात् प्रकरण में मैरिट पर विचार किया गया। निगरानीकर्त्ता प्रार्थी द्वारा पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर के आदेश दिनांक 27.04.2013 एवं ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 22.06.2011 के विरूद्व अन्तर्गत धारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति नदबई द्वारा दिनांक 27.04.2013 को पारित आदेश में दिनांक 10.04.2013 को मौका निरीक्षण कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिसमें ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 22.06.2011 को सही होना अंकित किया है साथ ही अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया गया है। इससे जाहिर होता है कि निगरानी आदेश सही व उचित कानूनी रूप से सही पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार त्रुटि नही होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नही रहता है। प्रार्थी निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निणर्य आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर